FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0094 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/04/2025 21:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी एन एस एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/04/2025 **Date To (दिनांक तक):** 14/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 08:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:22 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/04/2025 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/04/2025 21:26:14 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 300 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** SHRI MOHAN GIRI GOSWAMI, KA NIWAS STHAN MKAN GOAN, SAMBHUPURA CHITTORGADH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** MOHAN GIRI GOSWAMI
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAMNA GIRI GOSWAMI
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1964 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SAWA ROAD, SAMBHUPURA, SHAMBHUPURA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SAWA ROAD, SAMBHUPURA, SHAMBHUPURA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJESH MEENA		पिता:KESRIMAL MEENA	1. C-140,PRTAPNAGAR,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA
2	DINESH DAS BAIRAGI		पिता:SOHAN DAS	1. PATANIYA,SAMBHUPURA,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		55,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 55,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी पिता श्री जमना गिरी जी गोस्वामी निवासी शम्भूपुरा जिला चितौडगढ ने जरिये वाट्सअप कॉल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैनें व मेरे दोस्त सत्यनारायण खटीक ने पटवार मण्डल शम्भूपुरा में 27 आरी कृषि भूमि खरिदी हैं। इस जमिन मे से 25 आरी भूमि का कन्वर्जन कुछ समय पहले कराया था, शेष 2 आरी भूमि का कन्वर्जन करने हेतु मैने राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) शम्भूपुरा तहसील चितोडगढ से मिला तो राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) ने मेरे से 95,000 /- रूपये (पच्चानवे हजार) रिश्वत के मांग रहा हैं। दिनेश वैष्णव और ओमप्रकाश शर्मा दोनो राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) के साथ सरकारी कामों में सहयोग व उसके लिए रिश्वत का लेन-देन का कार्य करते हैं। मेरे से रिश्वत राशि दिनेश वैष्णव ही लेने आयेगा। मैं रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं तथा इन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया कि राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) व दिनेश वैष्णव से अब आपको कब मिलना हैं तो परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी ने कहां कि मेरे से अब राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) नही मिलेगा, मेरे से रिश्वत राशि लेने के बारे में अब बातचीत के लिए राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) का दलाल दिनेश वैष्णव कल दिनांक 08.04.2025 को मेरे से मिलेगा और मेरे से रिश्वत राशि के बारे में बात कर सकता है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को पुछा गया कि राजेश मीणा गिरदावर (एल. आर.) का दलाल दिनेश वैष्णव की आपसे कब मिलने की सम्भावना हैं, तो परिवादी ने बताया कि कल सुबह दिनांक 08.04.2025 को दलाल दिनेश वैष्णव मेरे घर पर आ सकता हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिपोर्ट पेश करने के लिए तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु कहां तो परिवादी ने बताया कि श्रीमान आप किसी स्टाफ को मेरे घर पर या गांव शम्भुपुरा भिजवा दिजिये, मैं राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) व उसके दलाल दिनेश वैष्णव से वार्ता कर लूंगा। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय में कार्यरत हेमेन्द्र सिंह कानि नं. 82 को बुलवाया जाकर गोपनियता की हिदायत कर परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी के मोबाईल नम्बर व कानि. के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान करवाये जाकर निर्देशित किया कि आप परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी के घर या शम्भूपुरा पहुंचं परिवादी द्वारा राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) व उसके दलाल दिनेश वैष्णव से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने पर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाकर पेश करें तथा कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्राप्त करें। तत्पश्चात ब्यूरो कार्यालय में कार्यरत दिलीप कुमार कानि. 319 को कक्ष में बुलाकर हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 को कल ब्यूरो कार्यालय का एक डिजिटल वाईस रिकार्ड मय खाली मेमोरी कार्ड उपलब्ध करवाने बाबत निर्देशित किया। दिनांक 08.04.2025 समय 08.00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 ने बताया कि परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी का वाट्सअप फोन आया हैं। जो मुझे राजेश मीणा गिरदावर (एल. आर.) व उसके दलाल दिनेश वैष्णव से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाने हेतु उनके घर पर शम्भूपुरा बुला रहे हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर ब्यूरो के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड प्राप्त कर शम्भूपुरा परिवादी के घर पर जाने की हिदायत मुनासीब कर रवाना शम्भूपुरा जिला चितौडगढ की तरफ किया। दिनांक 08.04.2025 समय 04.30 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी व श्री हेमेन्द्र सिह कानि मय डिजीटल वॅईस रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए तथा ब्यूरो का डिजीटल वॅईस रिकॉर्डर कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व परिवादी ब्यूरो इकाई से रवाना होकर समय 11.50 ए.एम. पर परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी के घर पर पहुंचं मन कानि. का पद परिचय दिया जाकर घर के अन्दर बने हुए कमरे में बैठकर परिवादी से कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश करने को कहां तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी आपके साहब को रिपोर्ट लिख देता हूं और आपके साथ प्रतापगढ चलकर साहब को पेश कर दूंगा। जिस पर परिवादी को ब्यूरो की डिजीटल वॉईस रिकोर्डर के संचालन की विधी भलीभांती समझाई गई। इसके बाद परिवादी को संदिग्ध राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) से से रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया की मेरे से पैसो के लेन-देन के बारे में राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) सीधे बात नही करता हैं, रिश्वत के पैसो के लेन-देन के बारे

में मेरे से उसका दलाल दिनेश वैष्णव एवं ओम प्रकाश शर्मा ही बात करते हैं। मैं अभी दलाल दिनेश वैष्णव से मोबाईल कॉल कर पूछ लेता हूं। श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ का दलाल दिनेश वैष्णव अभी शम्भूपुरा में ही हैं। जिस पर परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी के मोबाईल नं [redacted] द्वारा आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ के दलाल दिनेश वैष्णव (प्राईवेट व्यक्ति) के मोबाईल नं [redacted] पर कॉल करवाई गई, जिसमें दलाल दिनेश वैष्णव ने कहां कि मैं मैं थोडी देर में घर पर आ रहा हूँ......... इत्यादी वार्ता की गई. उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवाकर ब्यूरो के डिजिटल वॅईस रिकॉर्डर में मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 12.14 पर परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुपूर्द कर आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के दलाल दिनेश वैष्णव (प्राईवेट व्यक्ति) से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करने हेतु चालु कर दिया गया। मन् कानि. परिवादी के घर के अन्दर बने हुए कमरे के पीछे की तरफ अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया और ब्यूरो का डिजीटल वेंईस रिकॉर्डर मय ममोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया जिसे बन्द कर मैने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मेरी संदिग्ध श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ के दलाल दिनेश वैष्णव (प्राईवेट व्यक्ति) से वार्ता हो चुकी हैं और मौके पर दलाल दिनेश वैष्णव ने अपने मोबाईल [redacted] से श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के मोवाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर मेरी बात करवाई हैं, उक्त वार्ता के दौरान श्री राजेश मीणा गिरदावर ने मुझे कहां हैं कि वो तो बाद में आप दे ओ जब ही होगा काम आपका जिस पर परिवादी ने कहां कि 40, 40 दे दु तो संदिग्ध श्री राजेश मीणा गिरदावर ने कहां कि हां वां. . इत्यादि वार्ता ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। जिसमें संदिग्ध श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के लिए उसके दलाल दिनेश वैष्णव द्वारा वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन 40,000/- (चालिस हजार) रूपये मांग कर ग्रहण कर लिए। उक्त वार्ता परिवादी ने डिजीटल वॅईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को सुना गया तो परिवादी एवं संदिग्ध श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के दलाल दिनेश वैष्णव (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य आमने-सामने एवं परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी एवं संदिग्ध श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के मध्य दलाल दिनेश वैष्णव के फोन से जरिये कॉल पर हुई वार्ता से रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया, जिससे श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। परिवादी ने भी कानि. द्वारा बताये गए तथ्यों की ताईद की है। जिसके बाद श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. ने बताया कि गोपनीय सूत्र सूचना से जानकारी मिली हैं कि श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ भ्रष्ट प्रवृति का हैं तथा ज्यादातर सरकारी काम बिना रिश्वत लिये नही करता है। श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के लिए दलाली का काम दिनेश वैष्णव और ओमप्रकाश शर्मा करता हैं। तथा परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी पिता श्री जमना गिरी जी गोस्वामी जाति गोस्वामी उम्र 61 साल निवासी 107, सावा रोड, शम्भूपुरा थाना शम्भूपुरा जिला चितौडगढ ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया कि मैं मोहन गिरी गोस्वामी पिता श्री जमना गिरी जी गोस्वामी जाति गोस्वामी उम्र 61 साल निवासी 107, सावा रोड, शम्भूपुरा थाना शम्भूपुरा मैं चितौडगढ़ का रहने वाला हूं। मैं और मेरा मित्र सत्यनारायण खटीक शम्भूपुरा के अन्तर्गत 27 आरी कृषि भूमि खरिदी थी। उक्त जमीन में से 25 आरी भूमि का कुछ समय पूर्व कन्वर्जन कराया था, शेष 2 आरी भूमि का कन्वर्जन करने हेतु मैने राजेश मीणा गिरदावर (एलआर) शंभूपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ से और उक्त भूमि के रूपांतरण के लिए आवेदन किया राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) ने मेरे व मेरे दोस्त सत्यनारायण खटीक से उक्त भूमि के कन्वर्जन हेतु एक लाख रूपये कमीशन के रूप में रिश्वत मांगी, जिस पर मैने काफी अनुनय विनय किया तो राजेश मीणा गिरदावर (एल. आर.) ने 95,000/- रूपये (पच्चानवे हजार) रिश्वत के दिनेश वैष्णव और ओमप्रकाश शर्मा जो कि राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) के साथ सरकारी कामों में सहयोग व उसके लिए रिश्वत का लेन-देन का कार्य करता हैं, को देने के लिए कहा था। मेरे, राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) व दिनेश वैष्णव दलाल के बीच कोई लडाई-झगडा व लेन-देन बकाया नही हैं। उक्त भूमि को कन्जर्वन के लिए मैने फाईल राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) को दे रखी हैं, जो फाईल अभी भी इन्ही के पास हैं। राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) मेरे से रिश्वत राशि लेन-देन के बारे में आमन-सामने बात नही करता हैं। राजेश मीणा गिरदावर (एल.आर.) अपने दलाल दिनेश वैष्णव एवं ओम प्रकाश शर्मा के मार्फत मेरी उक्त भूमि को कन्वर्जन करवाने के बदले मेरे से 95,000/- रूपये (पच्चानवे हजार रूपये) मांग कर परेशान कर रहा हैं। मैं रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं तथा इन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वयं के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी को सत्यनारायण खटीक के बारे में पूछा गया तो उसने बताया उन्हे कोई आवश्यक काम होने से नही आ पाये लेकिन प्रार्थना पत्र पर उन्होने

कार्यवाही करने हेतु लिखित सहमती दी हैं। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड पेश किया तथा भूमि रूपान्तरण हेतु राजेश मीणा गिरदावर को पेश किये गये नक्शे प्रस्तुत किये गये। जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को बकाया रिश्वत राशि 55,000/- रूपये की व्यवस्था करने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया की अभी मेरे पास आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के व्यवस्था नहीं है मेरे बच्चे की सेलेरी 11-12 तारीख को आएगी या जैसे ही पैसो की व्यवस्था होगी मैं ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। ब्यूरो का डिजीटल वॅईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ को श्री हेमेन्द्र सिह कानि. को सुपूर्द कर कार्यालय के मालखाने में रखवाने हेतु निर्देशित किया गया। हालात वरिष्ट अधिकारी को अवगत करवाये गये। दिनांक 11.04.2025 समय 10.35 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 मय वाहन सरकारी वास्ते परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी से हालात जानने, कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत करने व सह परिवादी सत्यनारायण की सहमति बाबत उससे मिलने व रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने के बारे में जानकारी करने हेतु शम्भूपुरा जिला चितौडगढ की ओर रवाना हुआ। दिनांक 11.04.2025 समय 01.40 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 मय वाहन सरकारी ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो समय 12.15 पी.एम. परपरिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी के घर पर शम्भूपुरा जिला चितौडगढ पहुंचकर परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी से कार्यवाही के बारे में हालात जाने, सहपरिवादी सत्यनारायण खटीक से कार्यवाही में सहमति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह जमीन मैने तथा मोहन जी ने मिलकर ली हैं। इसमें से 25 आरी पहले कन्वर्डर करवा चुके हैं लेकिन सिर्फ 2 आरी के कन्वर्ड करवाने के लिए राजेश मीणा गिरदावर 95 हजार रूप्ये मांग रहा है। मेरी राजेश मीणा गिरदावर से कोई दुश्मनी नही हैं ना हि पैसो का कोई बकाया लेन-देन हैं। मैं इस कानूनी कार्यवाही से सहमत हूं। कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत की था रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने के बारे में जानकारी प्राप्त की जो परिवादी ने बताया कि जेसे ही मेरे पास पैसो की व्यवस्था हो जायेगी तो मैं आपको जरिये मोबाईल सूचित कर दूंगा। तत्पश्चात परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में हिदायत कर रवाना हो हाजिर ब्यूरो कार्यालय हुए। दिनांक 12.04.2025 समय 06.00 पी.एम. इस समय श्री हेमेन्द्र सिह कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया की परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी का मेरे मोबाईल पर कॉल आया है और उसने बताया की रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है, मैं रिश्वत राशि लेकर सोमवार को प्रातः आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में हिदायत की गई। दिनांक 13.04.2025 समय 06.40 पी.एम. पर इस समय श्री हेमेन्द्र सिह कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया की परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी का मेरे मोबाईल पर कॉल आया है और उसने बताया की रिश्वत राशि लेकर मैं कल प्रातः आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 499 दिनांक 13.04.2025 संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद प्रतापगढ के नाम तहरिर जारी कर श्री हेमेन्द्र सिंह कानि को गवाह पाबन्द कराने हेतु निर्देशित किया एवं वरिष्ठ अधिकारियों को हालात निवेदन किये तथा कार्यवाही हेतु अतिरिक्त जाप्ते की आवश्यकता बाबत निवेदन किया। दिनांक 13.04.2025 समय 07.30 पी.एम. पर इस समय श्री हेमेन्द्र सिह कानि 82 रवाना शुदा फिगरा उपरोक्त का ब्यूरो चौकी हाजिर आया ब्यूरो से रवाना हो संयुक्त निदेश निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद प्रतापगढ पहुंचं गवाह तलबी हेतु जारी तहरिर सर्व की जाकर कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद प्रतापगढ़ के पत्रांक 80-83 दिनांक दिनांक 13.04.2025 के पत्र की प्राप्ति पर स्वतंत्र गवाह श्री थारपाल मीना कृषि पर्यवेक्षक उत्तेल एवं रामदयाल मेघवाल कृषि पर्यवेक्षक देवगढ़ को पाबन्द कर बाद फारिक रवाना हो हाजीर ब्यूरो हुआ। दिनांक 14.04.2025 समय 08.25 ए.एम. पर परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया जिसने बताया कि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार रिश्वत राशि 55,000 /- रूपये और देना तय हुआ था. मांग के अनुसार मैं 55,000 हजार रूपये कि व्यवस्था करके ले आया हूँ। स्वतन्त्र गवाहो के उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी को सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। दिनांक 14.04.2025 समय 09.15 ए.एम. इस समय श्री वीरविक्रम सिंह कानि. नं. 189 व जितेन्द्र कुमार कानि. 390 ब्यूरो इकाई डूंगरपुर जो इमदाद हेतु ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पर उपस्थित आए। दिनांक 14.04.2025 समय 10.00 ए.एम. इस समय दिनेश कुमार स.उ.नि. ब्यूरो इकाई बांसवाडा जो इमदाद हेतु ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पर उपस्थित आए। दिनांक 14.04.2025 समय 10.10 ए.एम. इस समय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद प्रतापगढ से दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री रामदयाल पिता हुकमीचन्द जी जाति मेघवाल उम्र 32 निवासी हडमतिया कुण्डाल थाना छोटीसादडी जिला प्रतापगढ हाल कृषि पर्यवेक्षक देवगढ मोबाईल नम्बर [redacted] श्री थरपाल मीणा पिता जगदीश जी मीणा जाति मीणा उम्र 31 निवासी मालीखेडा थाना कोतवाली प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ हाल कृषि पर्यवेक्षक उठेल, दलोट जिला प्रतापगढ़ मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। तत्पश्चात दोनों गवाहों एवं परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में

बुलाकर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी का आपस में परिचय कराया गया तथा दोनो गवाहन को ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई तो दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की गई। तत्पश्चात श्री मोहन गिरी गोस्वामी द्वारा दिनांक 08.04.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपि में होना व रिपोर्ट पर स्वयं के तथा सत्यनारायण खटीक के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 14.04.2025 समय 11.00 ए.एम. इस समय मन् अतिरिक्त तरिक्त पुलिस पुलिस अधीक्षक अ के निर्देश पर कार्यालय में उपस्थित श्री दिलीप कुमार कानि नं 319 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय दिनांक 08.04.2025 को उक्त कार्यवाही में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता वाले मूल मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालिय कक्ष में बुलाया जाकर ब्यूरो का वॅईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री हेमेन्द्र सिंह कानि 82 को सम्भलवाया तथा दिनांक 08.04.2025 को समय 12.03 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के दलाल दिनेश वैष्णव (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य जरिये मोबाईल हुई वार्ता तथा समय 12.14 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ से जरिये मोबाईल तथा उसके दलाल दिनेश वैष्णव के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॅईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। जिसे परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री नरेन्द्र सिंह कानि० से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। उक्त कार्यवाही की हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 के मोबाईल से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टीव कर विडियोग्राफी करवाई गई। दिनांक 14.04.2025 समय 12.40 पी.एम. इस समय उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ व उसके दलाल दिनेश वैष्णव (प्राईवेट व्यक्ति) को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 110 नोट कुल 55,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है - क.सं. नोट का प्रकार नोटो के नम्बर 1- 500/- रूपये का एक नोट 4UP 290550 2- 500/- रूपये का एक नोट 9HG 141930 3- 500/- रूपये का एक नोट 3PP 902820 4- 500/- रूपये का एक नोट 7BF 556127 5- 500/- रूपये का एक नोट 0MF 892724 6- 500/- रूपये का एक नोट 9PG 810464 7- 500/- रूपये का एक नोट 9PG 810465 8- 500/- रूपये का एक नोट 5AG 644144 9- 500/- रूपये का एक नोट 3DS 555967 10- 500/- रूपये का एक नोट 8HL 447473 11- 500/- रूपये का एक नोट 1SR 233536 12- 500/- रूपये का एक नोट 6UB 687133 13- 500/- रूपये का एक नोट 9EQ 039214 14- 500/- रूपये का एक नोट 7FV 139610 15- 500/- रूपये का एक नोट 7MK 205111 16- 500/- रूपये का एक नोट 7CR 940962 17 -500/- रूपये का एक नोट 2PC 481093 18- 500/- रूपये का एक नोट 5NN 907966 19- 500/- रूपये का एक नोट 9RE 756216 20- 500/- रूपये का एक नोट 9EQ 661610 21- 500/- रूपये का एक नोट 9AW 385823 22- 500/- रूपये का एक नोट 9HK 225688 23- 500/- रूपये का एक नोट 3NP 465326 24- 500/- रूपये का एक नोट 5CD 478042 25- 500/- रूपये का एक नोट 9KR 972421 26- 500/- रूपये का एक नोट 9EQ 397013 27- 500/- रूपये का एक नोट 7GQ 919375 28- 500/- रूपये का एक नोट 8BH 532929 29- 500/- रूपये का एक नोट 5PL 003466 30- 500/- रूपये का एक नोट 1DA 435292 31- 500/- रूपये का एक नोट 5CF 310324 32- 500/- रूपये का एक नोट 7NN 717371 33- 500/- रूपये का एक नोट 4RH 298820 34- 500/- रूपये का एक नोट 7NV 076831 35- 500/- रूपये का एक नोट 8BR 258951 36- 500/- रूपये का एक नोट 9HU 811387 37- 500/- रूपये का एक नोट 4RQ 200359 38- 500/- रूपये का एक नोट 2AP 985849 39- 500/- रूपये का एक नोट 3GG 221006 40- 500/- रूपये का एक नोट 2RB 000575 41- 500/- रूपये का एक नोट 9QD 942298 42- 500/- रूपये का एक नोट 8QB 514123 43- 500/- रूपये का एक नोट 6BN 046666 44- 500/- रूपये का एक नोट 4PA 840773 45- 500/- रूपये का एक नोट 4AS 542429 46- 500/- रूपये का एक नोट 6RN 154414 47- 500/- रूपये का एक नोट 0MH 166214 48- 500/- रूपये का एक नोट 2PP 348032 49- 500/- रूपये का एक नोट 0NA 534943 50- 500/- रूपये का एक नोट 4MV 520618 51- 500/- रूपये का एक नोट 7UR 355823 52- 500/- रूपये का एक नोट 4BG 951154 53- 500/- रूपये का एक नोट 7UA 476975 54- 500/- रूपये का एक नोट 7CS 239622 55- 500/- रूपये का एक नोट 9KD 741457 56- 500/- रूपये का एक नोट 8DN 439324 57- 500/- रूपये का एक नोट 3QC 363985 58- 500/- रूपये का एक नोट 1VG 585739 59- 500/- रूपये का एक नोट 4MH 385547 60- 500/- रूपये का एक नोट 1DD 281758 61- 500/- रूपये का एक नोट 6NT 978217 62- 500/- रूपये का एक नोट 1BT 019283 63- 500/- रूपये का एक नोट 0NR 510069 64- 500/-

रूपये का एक नोट 8NV 143680 65- 500/- रूपये का एक नोट 5TQ 859799 66- 500/- रूपये का एक नोट 1DQ 655958 67- 500/- रूपये का एक नोट 9QP 145870 68- 500/- रूपये का एक नोट 9RB 797390 69- 500/- रूपये का एक नोट 4DP 590640 70- 500/- रूपये का एक नोट 9BR 624666 71- 500/- रूपये का एक नोट 7MN 161523 72- 500/- रूपये का एक नोट 0GP 803632 73- 500/- रूपये का एक नोट 9AR 654590 74- 500/- रूपये का एक नोट 0GD 198309 75- 500/- रूपये का एक नोट 3DA 818352 76- 500/- रूपये का एक नोट 9EP 508210 77-- 500/- रूपये का एक नोट 7DN 837944 78- 500/- रूपये का एक नोट 0CT 762355 79- 500/- रूपये का एक नोट 4BD 546197 80- 500/- रूपये का एक नोट 3RP 480976 81- 500/- रूपये का एक नोट 5LC 239792 82- 500/- रूपये का एक नोट 9FM 816240 83- 500/- रूपये का एक नोट 3AB 688836 84- 500/- रूपये का एक नोट 2WD 600168 85- 500/- रूपये का एक नोट 8PG 570147 86- 500/- रूपये का एक नोट 3KR 461252 87- 500/- रूपये का एक नोट 0DN 680339 88- 500/- रूपये का एक नोट 6TH 696218 89- 500/- रूपये का एक नोट 4DQ 471119 90- 500/- रूपये का एक नोट 1DA 843713 91- 500/- रूपये का एक नोट 2MF 939854 92- 500/- रूपये का एक नोट 9WF 648398 93- 500/- रूपये का एक नोट 4CL 344840 94- 500/- रूपये का एक नोट 1QR 510594 95- 500/- रूपये का एक नोट 2NA 728290 96- 500/- रूपये का एक नोट 3KU 973762 97- 500/- रूपये का एक नोट 7CH 691828 98- 500/- रूपये का एक नोट 6QN 069439 99- 500/- रूपये का एक नोट 7QQ 367394 100- 500/- रूपये का एक नोट 4FC 659879 101- 500/- रूपये का एक नोट 7CB 665776 102- 500/- रूपये का एक नोट 2KA 560297 103- 500/- रूपये का एक नोट 4GD 772846 104- 500/- रूपये का एक नोट 3QA 638562 105- 500/- रूपये का एक नोट 7HF 651801 106- 500/- रूपये का एक नोट 2WP 059549 107- 500/- रूपये का एक नोट 0LC 316790 108- 500/- रूपये का एक नोट 0AQ 652281 109- 500/- रूपये का एक नोट 9RM 252259 110- 500/- रूपये का एक नोट 2PF 962148 उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया, जिन्होने सही होना जाहिर किया। तत्पश्चात श्री धनराज ड्राईवर कानि. 502 से मालखाना से फिनोफ्थलीन की शिशी मंगवाई जाकर श्री धनराज ड्राईवर कानि. को सम्भलवाई गई श्री धनराज ड्राईवर कानि. द्वारा अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 55,000/- रूपये के समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री रामदयाल से लिवाई गई, जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं पाई गयी। फिनोफ्थेलीन लगे हुए उक्त 500 रूपये के 110 नोट को श्री धनराज ड्राईवर कानि. द्वारा परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी के पहने हुए पेन्ट के आगे की बायी जेब में कोई शेष नही छोडते हुए रखवाये गए। तत्पश्चात् श्री दिलीप कुमार कानि 319 से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें श्री धनराज ड्राईवर कानि. के हाथ की अंगुलियों व अंगुठे गुढे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, इसी प्रकार एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री धनराज ड्राईवर कानि. की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा इसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त कार्यवाही की हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 के मोबाईल से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टीव कर विडियोग्राफी करवाई गई। उक्त गुलाबी घोल को श्री धनराज ड्राईवर कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री धनराज ड्राईवर कानि. को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या श्री हेमेन्द्र सिह कानि के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, श्री धनराज ड्राईवर कानि.. श्री दिलीप कुमार कानि. व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 14.04.2025 समय 01.40 पी.एम. इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ की लॉकेशन प्राप्त कर वीरविक्रम सिंह कानि. ईश्वर लाल कानि., जितेन्द्र कुमार कानि. व धनराज ड्राईवर कानि. को प्राईवेट वाहन टैक्सी द्वारा रवाना कर आरोपी श्री राजेश मीणा

गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ के चितौडगढ के प्रतापनगर कॉलोनी में स्थित मकान के आस-पास खडे रहने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाकर चितौडगढ शहर की तरफ रवाना किया गया। दिनांक 14.04.2025 समय 01.45 पी.एम. इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी, दिनेश कुमार स.उ.नि., नरेन्द्र सिंह कानि. व हेमेन्द्र सिंह कानि. मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय पूर्व में रिकार्ड शुदा मेमोरी कार्ड आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाकर शम्भूपुरा की तरफ रवाना किया गया। दिनांक 14.04.2025 समय 01.50 पी.एम. इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधान के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से ब्यरो इकाई प्रतापगढ़ से शम्भूपुरा की ओर रवाना हुए । दिनांक 14.04.2025 समय 09.40 पी.एम. इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अ अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान रामदयाल, थरपाल मीणा एवं श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधान के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर मय प्राईवेट वाहन टैक्सी तथा परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी, दिनेश कुमार स.उ.नि.. नरेन्द्र सिंह कानि. व हेमेन्द्र सिंह कानि. मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर ब्यूरो चौकी प्रतापगढ़ पर उपस्थित हुए। वापसी दर्ज रहे कि समय 15.19 पी.एम. इस समय परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी के मोबाईल नं [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ के दलाल दिनेश वैष्णव (प्राईवेट व्यक्ति) के मोबाईल नं [redacted] पर नॉर्मल कॉल करवाई गई, जिसमें परिवादी ने कहां कि कहां पर हो तो दलाल दिनेश वैष्णव ने कहां कि मैं शम्भूपुरा ही हु। जिस पर परिवादी ने कहां कि मैं निम्बाहेडा से आ रहा हूं आप कागज लेकर आ जाओं जिस पर दलाल दिनेश वैष्णव ने कहां कि ठीक... ठीक....इत्यादी वार्ता की गई। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवाकर ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा रिकॉर्ड किया। तत्पश्चात समय 15.22 पी. एम. इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता के परिवादी के घर के आस पास पहुंचकर अपने-अपने वाहनों को रोड के साईड में खडा कर गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। समय 15.28 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपुर्द कर हेमेन्द्र सिंह कानि, परिवादी के घर के पिछे बने बाडे में अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडा रहा तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान व दिलीप कुमार कानि चारो परिवादी के घर से थोडी दुर उप सरपंच चाय की दुकान पर तथा दिनेश कुमार स.उ.नि. व नरेन्द्र सिंह कानि. परिवादी के घर के पीछे बने हुए बाडे में अपनी-अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। समय 16.22 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी द्वारा हेमेन्द्र सिंह कानि. को अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया गया। जिस पर हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल सूचित किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाब्ता परिवादी के पास पहुंचे, तो परिवादी से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया जाकर हेमेन्द्र सिंह कानि को सुपूर्द किया गया। उसी समय परिवादी द्वारा अपने पास खडे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया की ये ही श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ के दलाल दिनेश वैष्णव हैं। जिन्होने अभी-अभी मुझसे 55,000/- रूपये रिश्वती राशि ग्रहण कर अपने हाथो से गिन कर अपने पहने हुए जिन्स के पेन्ट के पीछे की वाई जैब में रखे है। उक्त घटनाकम के बाद मौके पर मुख्य रोड होने से डिटेन शुदा उक्त व्यक्ति के दोनो हाथों की कलाई के उपर से उसी अवस्था में उक्त व्यक्ति का बाया हाथ नरेन्द्र सिंह कानि. द्वारा तथा दाहिना हाथ दिनेश कुमार स.उ.नि. द्वारा पकडकर उक्त व्यक्ति को यथास्थिती में परिवादी के घर के अन्दर बने हुये कमरे में ले जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमाराहियान का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उक्त व्यक्ति का परिचय लिया गया तो उस व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश दास बैरागी पिता सोहन दास बैरागी जाति वैष्णव निवासी पाटनिया थाना शम्भूपुरा जिला चितौडगढ हाल ग्राम प्रतिहारी ग्राम शम्भूपुरा होना बताया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी दिनेश दास बैरागी से रिश्वत राशि 55,000/- रूपये परिवादी से ग्रहण करने के सम्बन्ध पूछा गया तो आरोपी दिनेश दास बैरागी ने बताया की मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है जिस पर पास ही खडे परिवादी ने बताया की दिनेश दास जी झुठ बोल रहे है हो, आपने मेरी भूमि कन्वर्जन के लिए श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के लिए रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 08.04.2025 को 40,000/- रूपये मांग कर ग्रहण की तथा आज दिनांक 14.04.2025 को अभी-अभी मेरे से 55,000/- रूपये रिश्वत राशि लेकर आपकी जिन्स की पेन्ट के पीछे वाली बायी जेब में रखी हैं। जिस पर आरोपी दिनेश दास बैरागी हडबडाने लग गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी दिनेश दास बैरागी से रिश्वत राशि किस काम के लिए व किस व्यक्ति के लिए ली इस बारे में पुछा गया तो आरोपी दिनेश दास बैरागी ने स्वतन्त्र गवाहानों के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि उक्त रिश्वत राशि मैने मोहन गिरी गोस्वामी की 02 आरी भूमि कन्वर्जन करवाने के लिए श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ के कहने पर श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के लिए ली हैं। तत्पश्चात आरोपी से पूछा गया कि रिश्वत राशि लेकर कहां रखी तो आरोपी ने हाथ का ईशारा कर बताया कि मेरी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट के पीछे की तरफ बाई जैब में रखी हैं। जिस पर

आरोपी द्वारा पहनी हुई जिन्स की निले कलर की पेन्ट की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री थरपाल से लिवाई गई तो आरोपी द्वारा पहनी हुई निले रंग की जिन्स की पेन्ट के पीछे की तरफ बाई जैब से रूपये निकलवाये जाकर गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 110 नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल 55,000/- रूपये (पचपन हजार रूपये) रिश्वत राशि बरामद हुई जिसका मिलान स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व मुर्तिब फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर का मिलान हूबहू होना पाया गया उक्त रिश्वत राशि के नोट स्वत्रन्त्र गवाह थरपाल के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्वतंत्र गवाह श्री थरपाल मीणा से आरोपी की जामा तलाशी लिवाई गई जिस पर आरोपी दिनेश दास बैरागी के द्वारा पहनी हुई शर्ट के उपर की जैब से एक मोबाईल रेडमी कम्पनी का मिला जिसे स्वतन्त्र गवाह श्री रामदयाल के पास सुरक्षित रखवाया गया। उक्त मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा। तत्पश्चात आरोपी द्वारा पहनी हुई निले रंग की जिन्स की पेन्ट की तलाशी में पेन्ट की आगे की तरफ बाई जैब से स्वतन्त्र गवाह थरपाल द्वारा 500/- रूपये के नोटो की गडडी मिली जिन्हे निकलवाये जाकर गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 100 नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल 50,000/- रूपये (पचास हजार रूपये) बरामद हुए, उक्त 50,000/- रूपये के बारे में आरोपी दिनेश दास बैरागी को पुछा गया तो बताया कि उक्त राशि मैने रात्रि जागरण के लिए मेडीखेडा निवासी तुलसीराम जी से लिए हैं। उक्त राशि 50,000/- रूपये संदिग्ध होने से स्वत्रन्त्र गवाह रामदयाल के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात आरोपी दिनेश दास बैरागी द्वारा पहनी हुई निले रंग की जिन्स की पेन्ट के आगे की तरफ दाहिनी जैब से एक काले कलर की डायरी जिसमें दिनेश दास वैरागी के नाम का मूल आधार कार्ड 320884983263, मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नम्बर आरजे09 एसजे 0314. मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नम्बर आरजे21 3र 1848, ड्राईविंग लाईसेंस नम्बर आरजे 09/डीएलसी/05/9933 व आई.सी.आई.सी.आई. डेबिट कार्ड नम्बर 4838343899009736 व 3000/- रूपये नगद राशि प्राप्त हुई, उक्त दस्तावेज व 3000/- रूपये को स्वतन्त्र गवाह रामदयाल के पास सुरक्षित रखवाये गये। प्रकियानुसार आरोपी दिनेश दास बैरागी के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री दिलीप कुमार कानि. से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। श्री दिलीप कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर साफ पानी की बोतल से उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दिनेश दास बैरागी के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर श्री दिलीप कुमार कानि से सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरापी दिनेश दास वैरागी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिलीप कुमार कानि से कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एंव उक्त रिश्वत राशि बरामदगी एवं धोवन की कार्यवाही की विडियों रिकार्डीग श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. के मोबाईल में मेमोरी कार्ड मोड एक्टीव कर करवाई गई। रिश्वत राशि आरोपी दिनेश दास बैरागी के द्वारा पहनी हुई निले रंग की जिन्स की पेन्ट के पीछे की तरफ बाई जैब से बरामद हुई। उपरोक्त निले रंग की जिन्स की पेन्ट के पीछे की तरफ बाई जैब से रिश्वती राशि निकाली जाकर स्वतन्त्र गवाह थरपाल के पास सुरक्षित रखवाई गई थी, जिसका धोवन जिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के लिये एक लोवर मंगवाया गया एवं जीन्स की पेन्ट को सहसम्मान उतरवाकर लोवर पहनाया तथा एक नई प्लास्टिक की पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर साफ पानी की बोतल से उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउंडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। आरोपी दिनेश दास बैरागी के द्वारा पहनी हुई निले रंग की जिन्स की पेन्ट के पीछे की तरफ बाई जैब को उक्त गिलास में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिलीप कुमार कानि से कराये जाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त सभी को जरिये फर्द वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपस्थितिन के समक्ष आरोपी दिनेश दास बैरागी के द्वारा पहनी हुई निले रंग की जिन्स की पेन्ट के पीछे की तरफ बाई जैब से 500-500 रूपये के 110 नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल 55,000/- रूपये (पचपन हजार रूपये) रिश्वत राशि बरामद हुई। जीन्स पेन्ट को सुखने के लिये धुप में रखा जाकर सुखने के बाद उक्त जीन्स की पेन्ट व बरामद रिश्वत राशि के नोट स्वतन्त्र गवाह थरपाल के पास सुरक्षित रखवाये गये थे। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि को सफेद कागज के साथ सफेद धागे में लपेट कर एवं चिट लगाकर श्री दिलीप कुमार कानि. से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरो लिये गये। उक्त कार्यवाही की हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 के मोबाईल से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टीव कर विडियोग्राफी करवाई गई। हालात उच्चाधिकारीयों को अवगत कराये गए। तत्पश्चात श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ व आरोपी दलाल दिनेश दास बैरागी की आपस में वार्ता कराने हेतु श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के मोबाईल नम्बर [redacted] की लॉकेशन प्राप्त की गई तो राजेश मीणा गिरदावर की लॉकेशन उदयपुर चितौडगढ हाईवे पर आई। चितौडगढ़ जिले में श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के निवास के आस-

पास लॉकेशन आई। इसी दौरान समय 16.53 पी.एम. पर दलाल श्री दिनेश वैष्णव (प्राईवेट व्यक्ति) के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये वाट्सअप कॉल परिवादी के घर से ही करवाया गया तो आरोपी श्री राजेश मीणा राजस्व निरीक्षक द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। तत्पश्चात पुनः समय 17.17 पी.एम. पर दलाल श्री दिनेश वैष्णव (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये वाट्सअप कॉल परिवादी के घर से ही करवाया गया तो आरोपी श्री राजेश मीणा राजस्व निरीक्षक द्वारा कॉल रिसीव नही किया गया। तत्पश्चात समय 17.24 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेश मीणा राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) के मोबाईल नम्बर [redacted] से दलाल श्री दिनेश वैष्णव (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये वाट्सअप कॉल आया, जिसे ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात पुनः समय 17.28 पी.एम. पर दलाल श्री दिनेश वैष्णव (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी श्री राजेश मीणा राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) के मोबाईल नम्बर [redacted] से जरिये नॉर्मल कॉल परिवादी के घर पर ही आया जिसे लाउडस्पीकर ऑन करवाकर ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात पुनः समय 17.30 पी.एम. पर दलाल श्री दिनेश वैष्णव (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी श्री राजेश मीणा राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) के मोबाईल नम्बर [redacted] से जरिये कॉल परिवादी के घर पर ही आया जिसमें आरोपी राजेश मीणा राजस्व निरीक्षण द्वारा कहा गया कि अरे मेरे बार-बार कॉल कर रहे हो प्रोब्लम क्या आ रही है। इस पर दिनेश वेष्णव ग्राम प्रतिहारी ने कहां कि कुछ नहीं हैं घर जा रहा हु इस लिए मैने आपको कॉल किया इस पर राजेश मीणा ने कहा की फिर ये वापस कैसे मिल गये तुम घर जा रहे थे तो एक घण्टे पहले फोन किया था. जिसे लाउडस्पीकर ऑन करवाकर ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड किया गया। आरोपी राजेश मीणा को शक हो जाने पर वह दलाल निदेश बैरागी को बार-बार कॉल कर वस्तुस्थिति जानने की कोशिश कर रहा हैं और दिनेश बैरागी को विडियो कॉल करने हेतु कहां तत्पश्चात पुनः समय 17.32 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेश मीणा राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) के मोबाईल नम्बर [redacted] से दलाल श्री दिनेश वैष्णव (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये विडियों वॉटसअप कॉल परिवादी के घर के बाहर अहाते में बैठकर परिवादी व दलाल दिनेश वैष्णव से श्री राजेश मीणा राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) ने दिनेश बैरागी को कहां कि तुम ऐसी दबी दबी आवाज में क्यो बात कर रहे हों, तुम निकलो ना अब निकला, तु ऐसी दबी दबी आवाज मे क्यो बोल रहे हो, तुम्हारे 1 करोड बचा लिए बाकी हम 25 मीटर में आरोपी राजेश मीणा ने आगे यह भी कहां कि हम ऐसी बात कोई फोन पर नही करते तो आप फिर से गिना रहे हो यार। उक्त वार्ता से स्पष्ट हैं कि आरोपी राजेश मीणा को सक हो गया हैं। जिसे लाउडस्पीकर ऑन करवाकर ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड किया गया। आरोपी राजेश मीणा को सक हो जाने से उसे शिघ्र ही पूछताछ हेतु डिटेन किया जाना आवश्यक होने से पुनः लॉकेशन ली जाकर श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ की तलाश हेतु समय 06.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता दोनो स्वतंत्र गवाहान, दिनेश कुमार स.उ.नि. एवं श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधान के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से तथा परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी, नरेन्द्र सिंह कानि. व हेमेन्द्र सिंह कानि. मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व आरोपी दिनेश दास बैरागी जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से परिवादी के मकान से श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) की तलाश हेतु चितौडगढ शहर में श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के निवास के आस-पास लॉकेशन की तरफ रवाना हुए। रास्ते मे वीरविक्रम सिंह कानि. से जरिये मोबाईल वार्ता की गई तो उसने बताया कि अभी अभी लाल रंग की टीयुवी में राजेश मीणा व उसका परिवार उसके घर में दाखिल हो तुरन्त ही मोटरसाईकिल लेकर बच्ची के साथ ही बाहर बजार की तरफ निकल गया हैं। तत्पश्चात समय 06.45 पी.एम. पर श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) की तलाश हेतु चितौडगढ़ जिले में श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के निवास के आस-पास लॉकेशन पर पहुंचे जहां श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) द्वारा बार-बार आरोपी दिनेश दास बैरागी को कॉल करने से व कार्यवाही की भनक लगने से फरार हो गया। जिस पर पुनः लॉकेशन ली गई तो जिला चितोडगढ से 10 किलोमिटर दुरी पर श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के मोबाईल की लॉकेशन इमेजिका रिसॉर्ट के पास हाईवे पर आई, जिस पर श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के घर के आस-पास से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता दोनो स्वतंत्र गवाहान, दिनेश कुमार स.उ.नि. एवं श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से तथा परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी, नरेन्द्र सिंह कानि. व हेमेन्द्र सिंह कानि. मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व आरोपी दिनेश दास बैरागी जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी तथा पूर्व के पाबन्द शुदा उपस्थित वीरविकम सिंह कानि.., ईश्वर लाल कानि., जितेन्द्र कुमार कानि. व धनराज ड्राईवर कानि. मय प्राईवेट वाहन टैक्सी के रवाना हो समय 07.30 पी.एम. पर जिला चितोडगढ से 10 किलोमिटर दुरी पर श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के मोबाईल की नई लॉकेशन ईमेजिका रिसॉर्ट हाईवे पर पहुंचे जहां सुनशान जगह हो मुख्य सडक पर अंतिम लॉकेशन रही, उसके बाद पुनः नई लॉकेशन

प्राप्त की तो मोबाईल लगातार स्वीच ऑफ पाया गया। श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ को कार्यवाही की भनक लगने से मौके से फरार हो गया। उक्त हालात उच्चाधिकारीयों को अवगत करवाये गये। तत्पश्चात समय 07.55 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही के कम में अग्रीम कार्यवाही आवश्यक होने से वीरविक्रम सिंह कानि., ईश्वर लाल कानि., जितेन्द्र कुमार कानि. व धनराज ड्राईवर कानि. चारो को श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ की सम्भावित ठिकानो पर तलाश हेतु श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ के आस-पास में रहने एवं श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा के मिलने पर डिटेन कर पेश करने की हिदायत कर समय 08.10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता दोनो स्वतंत्र गवाहान, दिनेश कुमार स.उ.नि. एवं श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से तथा परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी, नरेन्द्र सिंह कानि. व हेमेन्द्र सिंह कानि. मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व आरोपी दिनेश दास बैरागी जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी के रवाना प्रतापगढ़ के लिए हुआ। समय 09.40 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता दोनो स्वतंत्र गवाहान, दिनेश कुमार स.उ.नि. एवं श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से तथा परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी, नरेन्द्र सिंह कानि. व हेमेन्द्र सिंह कानि. मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व आरोपी दिनेश दास बैरागी जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी के ब्यूरो चौकी प्रतापगढ पहुंचे। दिनांक 14.04.2025 समय 09.50 पी.एम. इस समय आरोपी दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) के सीने में दर्द की शिकायत बताने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 व श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324 मय आरोपी दिनेश दास बैरागी (प्राईवेट व्यक्ति) मय वाहन सरकारी के रवाना जिला चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय प्रतापगढ हुआ। दिनांक 14.04.2025 समय 11.00 पी.एम. इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 व श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324 मय आरोपी दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) मय वाहन सरकारी के रवाना शुदा जिला चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ पहुच प्राथमिक उपचार करवाया गया, बाद फारीक रवाना हो हाजिर चौकी हुआ। दिनांक 15.04.2025 समय 01.00 ए.एम. इस समय दिनांक 14. 04.2025 को समय 15.19 पी.एम. पर परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के दलाल दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दोनो के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व समय 15.28 पी. एम. पर परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के दलाल दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दोनो के मध्य जरिये मोबाईल व आमने-सामने हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता व समय 16.53 पी.एम. पर आरोपी दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये वाट्सअप कॉल व समय 17.17 पी. एम. पर आरोपी दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये वाट्सअप कॉल व समय 17.24 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के दलाल दिनेश वैष्णव (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दोनो के मध्य हुई जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता व समय 17.28 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के दलाल दिनेश दास बैरागी (प्राईवेट व्यक्ति) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये मोबाईल वार्ता व समय 17.30 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] एवं आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के दलाल दिनेश वैष्णव (प्राईवेट व्यक्ति) के मोबाईल नम्बर [redacted] के मध्य हुई जरिये मोबाईल वार्ता व समय 17.32 पर आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के दलाल दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई जरिये वाट्सअप विडियो कॉल वार्ता व समय 17.41 पर आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के दलाल दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दोनो के मध्य हुई जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता व समय 18.18 पर आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के दलाल दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दोनो के मध्य हुई जरिये मोबाईल वार्ता व समय 18.24 पर आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के मोबाईल नम्बर

[redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के दलाल दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दोनो के मध्य हुई जरिये मोबाईल वार्ता, जिसे परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को पृथक-पृथक चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा श्री नरेन्द्र सिंह कानि. से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 15.04.2025 समय 03.00 ए.एम. इस समय आरोपी दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) को अपना स्पष्टीकरण देने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-1 दिनांक 15. 04.2025 दिया गया तो आरोपी ने उसी पत्र पर अपने स्पष्टीकरण के बारे में अंकित किया कि मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में पेश करूंगा। उक्त पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 15.04.2025 समय 03.20 ए.एम. इस समय वीरविकम सिंह कानि., ईश्वर लाल कानि.. जितेन्द्र कुमार कानि. व धनराज ड्राईवर कानि. ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया की श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ की सम्भावित ठिकानो पर तलाश की गई जो उपस्थित नहीं मिला। कार्यवाही की भनक लगने से श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ उपस्थित नही मिला फिर भी आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ की तलाश के सम्बन्ध में प्रयास किये जावेगे। श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] लगातार स्विच ऑफ ही आ रहा हैं। दिनांक 15.04.2025 समय 04.00 ए.एम.इस समय दिनांक 08.04.2025 को समय 12. 03 पी.एम. व समय 12.14 पी.एम. पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता आमने-सामने व मोबाईल वार्ता कुल 02 एवं दिनांक 14.04.2025 को समय 15.19 पी.एम., समय 15.28 पी.एम., समय 16.53 पी.एम., समय 17.17 पी.एम., समय 17.24 पी.एम., समय 17.28 पी.एम., समय 17.30 पी.एम., समय 17.32 पी.एम., समय 17.41 पी.एम., समय 18.18 पी.एम., समय 18.24 पी.एम. पर हुई रिश्वत राशि लेन-देन व मोबाईल वार्ताए व वाट्सअप कॉल/विडियों कॉल वार्ताए कुल 11 जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324 से कनेक्ट करा वार्तालाप की छः पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव, तिसरी पर न्यायालय पेनड्राईव, चौथी पर आई.ओ. पेनड्राईव व पांचवी पर आरोपी पेनड्राईव प्रथम, छठी पर आरोपी पेनड्राईव द्वितीय लिखा जाकर उपरोक्त सभी पेनड्राईव एचपी बरंग सीलवर 16 जी.बी. जिसकी हेश वेल्यू नरेन्द्र सिंह कानि. से नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव, डब पेनड्राईव, न्यायालय पेनड्राईव, आरोपी प्रथम व द्वितिय पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आई.ओ. पेनड्राईव एचपी बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को अलग लिफाफे में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 15. 04.2025 समय 05.00 ए.एम. इस समय दिनांक 08.04.2025 को समय 12.03 पी.एम. व समय 12.14 पी. एम. पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता आमने-सामने व मोबाईल वार्ता कुल 02 एवं दिनांक 14.04.2025 को समय 15.19 पी.एम., समय 15.28 पी.एम., समय 16.53 पी.एम., समय 17.17 पी.एम., समय 17.24 पी.एम., समय 17.28 पी.एम., समय 17.30 पी.एम., समय 17.32 पी.एम., समय 17.41 पी. एम., समय 18.18 पी.एम., समय 18.24 पी. एम. पर हुई रिश्वत राशि लेन-देन व मोबाईल वार्ताए व वाट्सअप कॉल/विडियो कॉल वार्ताए कुल 11 जो नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यू नियमानुसार नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324 से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॅईस रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग लाल व स्लेटी 32 जी.बी. जिस पर सेनडीस्क लिखा हुआ है, को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर जरिये फर्द वजह सबूत जब्त कर नियमानुसार मार्क M अंकित कर सिलचीट किया गया। दिनांक 15.04.2025 समय 09.00 ए.एम. इस समय उक्त कार्यवाही के दौरान श्री हेमेन्द्र सिंह कानि 82 के मोबाईल टेक्रो पोवा के अन्दर एक नया मेमोरी कार्ड ईवीएम कम्पनी बरंग काला 16 जी.बी. डलवाकर कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाई गई थी। उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री हेमेन्द्र सिंह कानि 82 के मोबाईल टेक्रो पोवा मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की एक केडीएम कम्पनी बरंग सिल्वर 08 जी.बी. की डब पेनड्राईव तैयार की गयी। डब पेनड्राईव केडीएम कम्पनी बरंग सिल्वर 08 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। उक्त मूल मेमोरी कार्ड को श्री हेमेन्द्र सिह कानि के मोबाईल से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड ईवीएम कम्पनी बरंग काला 16 जी.बी. जिस पर ई.वी.एम. लिखा हुआ है, जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार हेमेन्द्र सिंह कानि. से निकलवाकर जरिये फर्द जब्त कर एक सफेद कपडे की थेली में रखकर नियमानुसार मार्क M-1 अंकित कर सिलचीट कर जब्त किया गया। दिनांक 15.04.2025 समय 09.45 ए.एम. इस समय दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी दिनेश दास बैरागी (ग्राम प्रतिहारी) द्वारा पहनी हुई निले रंग की जिन्स की पेन्ट के पीछे की तरफ की बाई जेब में रिश्वत राशि रखी गई जो रिश्वत राशि 55,000/- रूपये बरामद हुई, उक्त जिन्स की पेन्ट बरंग हल्का

निला कलर हो आगे की दोनो तरफ एक-एक जेब बनी हुई हैं तथा पीछे की दोनो तरफ एक-एक जेब बनी हुई हैं। उक्त जिन्स की पेन्ट वजह सबुत होने से सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दिनांक 15.04.2025 समय 10.30 ए.एम. इस समय आरोपी दिनेश दास बैरागी पिता सोहन दास बैरागी जाति वैष्णव उम्र 44 साल निवासी मंदिर वाली गली, पाटनिया थाना शम्भूपुरा जिला चित्तौडगढ़ को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिव कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार जिजाजी तुलसीदास को दी गई। दिनांक 15.04.2025 समय 11.15 ए.एम. इस समय दर्ज रहे कि आरोपी दिनेश दास बैरागी द्वारा आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ़ से जरिये नॉर्मल कॉल व जरिये वाट्सअप कॉल व वाट्सअप विडियो कॉल पर वार्ता की गई एवं वाट्सअप चैटिंग की गई हैं, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित फोटो, कागजात इत्यादि का आदान-प्रदान हैं। उक्त मोबाईल जो कि आरोपी दिनेश दास बैरागी की जामा तलाशी ट्रेप कार्यवाही के दौरान स्वतंत्र गवाह श्री रामदयाल से लिवाई गई थी तब आरोपी दिनेश दास बैरागी के पास से एक मोबाईल रेडमी कम्पनी का बरामद हुआ था जिसे स्वतंत्र गवाह श्री रामदयाल को सम्भलाया गया था, जिसे जब्त करना आवश्यक होने से आरोपी दिनेश दास बैरागी का एक मोबाइल रेडमी-12 5ग कम्पनी को जिसके आईएमइआई नंबर (स्लॉट-01) [redacted] (स्लॉट-02) [redacted] है जिसके स्लॉट-01 मे एक सीम लगी हुई, जिसके नम्बर [redacted] को उक्त कार्यवाही में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचिट किया जाकर मार्क MD अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 15.04.2025 समय 11.50 ए.एम. इस समय जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री दिलीप कुमार कानि 319 को निर्देशित किया गया। दिनांक 15.04.2025 समय 12.35 पी.एम. इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता दिनेश कुमार स.उ.नि.. जितेन्द्र कुमार कानि. व धनराज ड्राईवर कानि. मय विभागीय वाहन टावेरा वास्ते घटनास्थल निरीक्षण करने हेतु परिवादी के घर शम्भूपुरा रवाना हुआ। दिनांक 15.04.2025 समय 03.45 पी.एम. इस समय हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 द्वारा जरिये दुरभाष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया कि श्री राहुल धाकड तहसीलदार चितौडगढ मय उनके कार्यालय पत्रांक 570 दिनांक 15.04. 2025 मय रिकार्ड लेकर उपस्थित ब्यूरो चौकी हुये, जिस पर कानि. को रिकार्ड प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 15.04.2025 समय 06.15 पी.एम. इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता दिनेश कुमार स.उ.नि., जितेन्द्र कुमार कानि. व धनराज ड्राईवर कानि. मय विभागीय वाहन टावेरा का रवाना शुदा बाद घटनास्थल निरीक्षण कर बाद फारीक रवाना हो हाजिर आये। हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 ने श्री राहुल धाकड तहसीलदार चितौडगढ द्वारा पेश उनके कार्यालय पत्रांक 570 दिनांक 15.04.2025 मय रिकार्ड को पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामील पत्रावली किया गया। दिनांक 15.04.2025 समय 07.00 पी.एम. इस समय आरोपी दिनेश दास बैरागी पिता सोहन दास बैरागी जाति वैष्णव निवासी मंदिर वाली गली, पाटनिया थाना शम्भूपुरा जिला चित्तौडगढ़ की जामा तलाशी से प्राप्त रेडमी कम्पनी के मोबाईल को चेक किया गया तो दिनांक 08. 04.2025 को आरोपी दिनेश दास बैरागी ने अपने मोबाईल के वाट्सअप नम्बर [redacted] से आरोपी श्री राजेश मीणा गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 08.19 पी.एम. पर मेसेज सेण्ड किया हुआ हैं कि मोहन जी से मिला उन्होने सोमवार के लिए कहा उक्त का फोटो श्री हेमेन्द्र सिंह कानि से प्रिन्ट निकलवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री हेमेन्द्र सिंह कानि के मोबाईल में मेमोरी कार्ड मोड एक्टीव कर की गई। अतः दिनांक 15.04.2025 समय 10.30 ए.एम. पर आरोपी दिनेश दास बैरागी पिता सोहन दास बैरागी जाति वैष्णव उम्र 44 साल निवासी मंदिर वाली गली, पाटनिया थाना शम्भूपुरा जिला चित्तौडगढ़ हाल अंशकालिन सहायक (ग्राम प्रतिहारी) हल्का शम्भूपुरा जिला चित्तौडगढ को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 व धारा 61 (2) बी.एन.एस. 2023 में गिरफ्तार किया गया। आरोपी दिनेश दास बैरागी ग्राम प्रतिहारी होने से खाना तलाशी नही ली गई। इस प्रकार परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जरिये मोबाईल व वाट्सअप वार्ता, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफथेलीन पाउडर, फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि एवं फर्द निरीक्षण घटनास्थल तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों के आधार पर पाया कि परिवादी मोहन गिरी गोस्वामी द्वारा ग्राम पंचायत शम्भूपुरा में सत्यनारायण खटीक के नाम स्थित 02 आराजी भूमि के कन्वर्जन की ऐवज में श्री राजेश मीणा गिरदावर शम्भूपुरा द्वारा 95 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान करने पर कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की, जिस पर अग्रीम कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.04.2025 को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया गया। दोराने मांग सत्यापन आरोपी श्री दिनेश दास वैरागी (ग्राम प्रतिहारी) द्वारा श्री राजेश मीणा गिरदावर शम्भूपुरा के लिए परिवादी श्री मोहन गिरी गोस्वामी से 40.000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण की गई। रिश्वत राशि मांग के सत्यापन की पुष्टि होने पर शेष रिश्वत राशि 55,000 / रूपये मांग अनुसार दिनांक 14. 04.2025 को आरोपी दिनेश दास बैरागी पिता सोहन दास बैरागी जाति वैष्णव उम्र 44 साल निवासी मंदिर वाली गली, पाटनिया थाना

शम्भूपुरा जिला चितौडगढ़ हाल अंशकालिन सहायक (ग्राम प्रतिहारी) द्वारा श्री राजेश मीणा भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) वृत शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ के लिए ग्रहण की गई। श्री राजेश मीणा भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) वृत शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ अपनी सकुनत से रूहपोश हैं। अतः श्री राजेश मीणा पिता केसरीमल मीणा उम्र 53 साल जाति मीणा निवासी सी 140 प्रतापनगर चितौडगढ जिला चितौडगढ हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) वृत शम्भूपुरा तहसील चितौडगढ जिला चितौडगढ एवं श्री दिनेश दास बैरागी पिता सोहन दास जाति वैष्णव उम्र 44 साल निवासी पाटनिया थाना शम्भूपुरा जिला चितोडगढ हाल अंशकालिन सहायक (ग्राम प्रतिहारी), पटवार हल्का शम्भूपुरा जिला चितौडगढ के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र. नि. ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं। भवदीय (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़। ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) 61(2) बी.एन.एस 2023 में आरोपीगण 1 श्री राजेश मीणा पिता केसरीमल मीणा उम्र 53 साल निवासी सी 140 प्रतापनगर चितौड़गढ हाल भू- अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) वृत शम्भूपुरा तहसील चितौड़गढ़ (2) श्री दिनेश दास बैरागी पिता मोहन दास वैष्णव, निवासी पाटनिया थाना शम्भूपुरा चितौड़गढ़ हाल अंशकालीन सहायक (ग्राम प्रतिहारी) पटवार हल्का शम्भूपुरा चितौड़गढ़ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह,अति0पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चितौड़गढ़ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 258 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान)पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 542-45 दिनांक 17-04-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चितौड़गढ़ । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-जिला कलक्टर चित्तौडगढ ।4 - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vikram Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/04/2025 21:

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1972				
2	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)